बाह्य परिपत्र सं. 39 / डॉस- 02/2020-21 23 मार्च 2021

सं.सं. रा बैं.डॉस/ पॉल / 4085/ जे-1/ 2020-21

प्रबंध निदेशक, सभी राज्य सहकारी बैंक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय/ महोदया

<u>एन्श्योर पोर्टल – नीतिगत विवरणी के मैट्रिक्स की समीक्षा</u>

हम आपका ध्यान दिनांक 02 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र सं.राबैं.डॉस.पॉल.प्रका/3484/ जे-1/2019-20 (सं. 55/डॉस-13/2020) और दिनांक 21 अगस्त 2020 के ई-मेल की ओर आकृष्ट करते हैं जिसमें बैंकों को अर्ध वार्षिक आधार पर नीतिगत विवरणी का मैट्रिक्स प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था।

2. हम आपका ध्यान दिनांक 20 मार्च 2013 के परिपत्र सं. राबैं. डॉस.प्रका. पॉल/ 4496/ जे-1/ 2012-13 (सं. 60/डॉस-10/ 2013) की ओर भी आकृष्ट करते हैं जिसमें आपके बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित करने का सुझाव दिया गया था। आपको सूचित किया जाता है कि आपके बैंक के लिए एक अनुपालन अधिकारी की पहचान शीघ्र करें, यदि यह अब तक नहीं किया गया हो।

3. तदनुसार, निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ नीतिगत मैट्रिक्स का संशोधन किया गया है:

क) अनुपालन अधिकारी नीतिगत विवरणी का मैट्रिक्स प्रस्तुत करेंगे। वे यह विवरणी सीधे ही नाबार्ड को प्रस्तुत कर सकते है। तदनुसार आपको सूचित किया जाता है कि 'नीतिगत मैट्रिक्स' से संबंधित विवरणी बैंक के अनुपालन अधिकारी के लिए मैप कर दें।

ख) यदि बैंकों ने अभी तक 'अनुपालन अधिकारी' की पहचान नहीं की है तो वे एक वरिष्ठ अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए चिन्हित करें।

ग) इस परिपत्र की तिथि से ये निर्देश लागू होंगे।

4. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें.

भवदीय

हस्ता/-
(के एस रघुपति)
मुख्य महाप्रबंधक